न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)

वाद सं. : 03/2016

1. धूणीलाल पुत्र स्व. सेवाराम उर्फ सेवला जाति बलाई,
   निवासी ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ कांकरावाला तहसील आमेर, पुलिस थाना चन्दवाजी जिला जयपुर
2. सावित्री पत्नि गिरधारी लाल पुत्री स्व. मालीराम जाति बलाई,
   निवासी ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ कांकरावाला तहसील आमेर, पुलिस थाना चन्दवाजी जिला जयपुर हाल निवासी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. ज्वाला प्रसाद पुत्र स्व. प्रभात उर्फ प्रभात्या जाति बलाई,
   निवासी ग्राम अरनिया हाल निवासी ग्राम हरचन्द्रपुरा उर्फ कांकरावाला तहसील आमेर पुलिस थाना चन्दवाजी जिला जयपुर
2. मुरली पत्नि सुवालाल पुत्री स्व. मंगला उर्फ मंगल्या जाति बलाई,
   निवासी भुरानपुरा जाटान, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. नन्छी पत्नि सुवालाल पुत्री स्व. मंगला उर्फ मंगल्या जाति बलाई,
   निवासी हनुतपुरा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
4. मुरलीधर पुत्र सोणी लाल उर्फ सोन्या जाति बलाई,
   निवासी ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ कांकरावाला तहसील आमेर, पुलिस थाना चन्दवाजी जिला जयपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपस्थितः— अधिवक्ता वादी श्री मोहनलाल शर्मा

निर्णय **दिनांकः 22.01.2021**

ग्राम अरनिया तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 1.38 है. [illegible] बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधा[illegible] से अभिकथन किया गया है कि वर्णित भूमि [illegible] रकबा 2 बीघा 1 [illegible] था। जो वादीगण के पूर्वज स्व. सेवाराम उर्फ सेवला पुत्र स्व. हरनाथ बलाई के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.15 12:05:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। **सेवला उर्फ सेवाराम उक्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार रहा है तथा सेवला की मृत्यु के पश्चात वादीगण जो कि स्व. सेवला उर्फ सेवाराम के मात्र वारिस है उक्त वर्णित भूमि के बहक मालिक काबिज चले आ रहे है परन्तु** वादीगण के मालिकाना हक, कब्जे व अधिकार की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का **प्रतिवादी सं. 1 के पिता स्व. प्रभात्या उर्फ प्रभात व प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 के पिता स्व. मंगला उर्फ मंगल्या ने धोखे व फर्जी तरीके से स्वयं को सेवला उर्फ सेवाराम के पुत्र बताकर स्व. सेवला की भूमि का फौती नामान्तकरण फर्जी रूप से दिनांक 15.06.1976 को स्वयं के नाम से खुलवा लिया तथा उक्त फर्जी नामान्तकरण के आधार पर उक्त भूमिको जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.08.1982 को स्वयं के ही अन्य सगे भाई के पुत्र प्रतिवादी सं. 4 मुरलीधर को विक्रय कर दिया जबकि प्रतिवादीगण सं. 1 के पिता प्रभात्या, प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 के पिता मंगल्या तथा प्रतिवादी सं. 4 के पिता सोणीलाल उर्फ सोन्या तीनों ही सगे भाई होकर ईसरा के पुत्र है।** जिससे उक्त कराया गया पंजीकृत विक्रय पत्र प्रारम्भतः अवैध व शून्य होने से उसे निरस्त कराये जाने का वाद पत्र वादीगण द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय (क, ख) जयपुर जिला जयपुर में प्रस्तुत कर रखा है। इस प्रकार **प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने स्वयं को स्व. सेवला उर्फ सेवाराम का पुत्र गलत रूप से बताते हुये उसके विरासत का नामान्तकरण अपने नाम से गलत तौर पर खुलवाकर उक्त भूमि का प्रतिवादी सं. 4 मुरलीधर को गलत रूप से बेचान कर दिया** (जबकि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त उनके बुजुर्गो के जमाने से आज तक चला आ रहा है) जिस गलत दर्ज कराये गये राजस्व अंकन को प्रतिवादी सं. 1 के पिता प्रभात व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के स्व. पिता मंगला उर्फ मंगल्या ने अपने नाम से समाप्त नही कराया, ना ही प्रतिवादी सं. 4 ने वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व अंकन वादीगण के बारबार कहने पर भी अपने नाम से समाप्त कराया। इसलिए वादीगण को उक्त वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। इस प्रकार **भूमि के पूर्व खातेदार सेवाराम उर्फ सेवला की मृत्यु हो जाने से उनके मात्र वारिस होने के नाते जो नामान्तकरण मात्र वादी सं. 1 धूणी लाल व वादी सं. 2 सावित्री देवी के नाम खुलना चाहिए था उसे प्रतिवादी सं. 1 के पिता स्व. प्रभात उर्फ प्रभात्या व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता मंगला उर्फ मंगल्या ने धोखे प[illegible] से स्वयं को मृतक सेवाराम का पुत्र बताते हुये अपने नाम से खुलवा लिया।** जबकि उन्हें कोई विधिक अधिकार नही था, ना ही **प्रभात व मंगला का सेवला उर्फ सेवाराम से कभी कोई संबंध रहा तथा प्रभात व मंगला सेवाराम के पुत्र नही हो कर ईसरा के पुत्र है** तथा प्रभात

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.15 12:05:18 IST
Reason: SelfAttested

उर्फ प्रभात्या पुत्र ईसरा बलाई की भूमि वादीगण की उपरोक्त वर्णित वाद अधीन भूमि के लगवा भूमि खसरा नम्बर 6 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा है जबकि प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने वादीगण की अधिकारिता की भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा के सन्दर्भ में धोखे व फर्जी तरीके से स्वयं के नाम खुलवाकर प्रतिवादी सं. 4 को फर्जी रूप से बेचान कर दिया जबकि वादीगण उक्त भूमि पर पूर्व से ही निरन्तर काबिज है तथा उक्त अवैध कृत्य के आधार पर वादीगण को उनकी अधिकारिता की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने इरादों में कामयाब हो जायेंगे तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी रूप में संभव नही होगी। जिससे वादीगण को उक्त वाद बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः वादवादी डिक्री फरमाया जाकर ग्राम अरनियां तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा जिसका वर्तमान में क्षेत्रफल 1.38 है. है, के सन्दर्भ में प्रतिवादी सं. 1 के पिता प्रभात उर्फ प्रभात्या व प्रतिवादी सं. 2, 3 के पिता मंगला उर्फ मंगल्या द्वारा फर्जी व गलत तरीके से खुलवाये गये नामान्तकरण के आधार पर हुआ राजस्व अंकन फर्जी व गलत होने से बमुकाबले वादीगण अवैध व शून्य घोषित फरमाया जावे तथा उक्त अवैध नामान्तकरण के आधार पर प्रभात व मंगला द्वारा प्रतिवादी सं. 4 मुरलीधर को किया गया भूमि का बेचान तथा बेचान के क्रम में प्रतिवादी सं. 4 के नाम हुये राजस्व अंकन को निरस्त फरमाया जाकर वादीगण को भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती का आदेश फरमाया जावें तथा साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त वर्णित भूमि से वादीगण को ना तो बेदखल करे ना ही वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित करें तथा ना ही उक्त भूमि को रहन, बैय, बख्शीश, वसीयत, हस्तान्तरण, विक्रय आदि ना करें।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के सन्दर्भ/ समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये–

1. सत्यापित प्रतिः– **जमाबंदी सम्वत 2068–2071 ग्राम अरनियां (प्रदर्श–1)** जिसके अनुसार वाद ग्रस्त भूमि के सहखातेदारान में वादी सं. 1 का नाम धूलाराम पि. सेवला के रूप में अंकित है जबकि धूणीलाल के रूप में अंकित है तथा वादी सं. 2 के पिता का नाम सेवला जाति बलाई के पुत्रों के रूप में दर्ज/अंकित है। उक्तानुसार सेवाला जाति बलाई के अन्य किसी पुत्र का नाम अंकित नही है। जवाब वाद पत्र अनुसार प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.15 12:05:18 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा स्वयं के सेवला के वारिसान होने बाबत कोई कथन अंकित नही किया गया है, ना ही वादीगण द्वारा वर्णित सेवला के वारिसान बाबत कथन का खण्डन किया गया है।

2. सत्यापितप्रति :– **सत्यापित प्रति जमाबंदी सम्वत 2022–2026 ग्राम अरनियां (प्रदर्श–2)** जिसके अनुसार वाद ग्रस्त भूमि खसरा नं. 5 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा की खातेदारी मात्र एक खातेदार सेवला पुत्र हरनाथ के रूप में दर्ज है जो कि वादपत्र में वर्णित अनुसार व सजरा खानदान अनुसार वादीगण के पूर्वज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान का कोई खण्डन नही किया गया है।

3. सत्यापितप्रतिः– **सत्यापित प्रति जमाबंदी सम्वत 2029–2033 ग्राम अरनियां (प्रदर्श–3)** जिसके अनुसार प्रतिवादी सं. 1 (ज्वाला प्रसाद) के पिता प्रभात उर्फ प्रभात्या की वल्दियत ईसरा जाति बलाई अंकित है जो कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादीगण के सजरा खानदान की पूष्टि करते हुए प्रतिवादी सं. 1 के पिता प्रभात (प्रभात्या) का ईसरा का पुत्र होना तथा प्रभात (प्रभात्या) की वल्दियत सेवला नही होना सिद्ध करती है।

4. सत्यापितप्रतिः– **सत्यापित प्रति जमाबंदी सम्वत 2022–2026 ग्राम अरनियां (प्रदर्श–4)** जिसके अनुसार प्रतिवादी सं. 1 (ज्वाला प्रसाद) के पिता प्रभात उर्फ प्रभात्या की वल्दियत ईसरा जाति बलाई अंकित है जो कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादीगण के सजरा खानदान की पूष्टि करते हुए प्रतिवादी सं. 1 के पिता प्रभात (प्रभात्या) का ईसरा का पुत्र होना तथा प्रभात (प्रभात्या) की वल्दियत सेवला नही होना सिद्ध करती है।

5. सत्यापितप्रतिः– **सत्यापित प्रति जमाबंदी ग्राम अरनियां (प्रदर्श–5)** जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि के गत अंकन अनुसार खसरा नं. 5 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादीगण सं. 1 व 2, 3 के पूर्वजों प्रभात (प्रभात्या) व मंगला (मंगल्या) के नाम सेवला बलाई के पुत्रों के रूप में दर्ज है जबकि प्रदर्श–3 जमाबंदी सम्वत 2029–2033 व प्रदर्श–4 जमाबंदी सम्वत 2022–2026 अनुसार प्रभात (प्रभात्या) की वल्दियत ईसरा सिद्ध होती है। इसी प्रकार प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत 2068–2071 में सेवला के पुत्रों के रूप में वादी सं. 1 धूणीलाल (धूलाराम) व वादी सं. 2 के पिता मालीराम का नाम अंकित है जो कि वादपत्र में सन्दर्भ में वादीगण के कथनों की पुष्टि करता है साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं की वल्दियत के सन्दर्भ में वादीगणों के अभिकथनों का कोई स्पष्ट खण्डन भी नही किया गया है। जिससे कथन प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार्य भी प्रतीत होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.15 12:05:18 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रमाणित प्रतिः— **विधानसभा निर्वाचन नामावली वर्ष 1971,1980 भाग संख्या 10 जमवारामगढ (प्रदर्श—7)** 05.11.2015 जिसके अनुसार प्रतिवादीगण के पूर्वजों की वल्दियत ईसरा सिद्ध होती है जो कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादीगण के सजरा की पुष्टि करता है।

7. सत्यापित प्रतिः— **एफ.आई.आर. रिपोर्ट दिनांक 08.01.2016 (प्रदर्श—9)**

8. प्रमाणित प्रतिः— **आदेश न्यायालय सिविल न्यायाधीश जयपुर, जिला जयपुर दिनांक 16.08.2016 (प्रदर्श—10)** जिसके अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में प्रथम दृष्टया उक्त प्रकरण प्रार्थीगण वादीगण के पक्ष में सिद्ध मानते हुए हस्तगत प्रकरण के प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 3 के पूर्वजों की वल्दियत सेवाराम नही होकर उक्त व्यक्तियों को ईसरा का पुत्र होना पाया है।

9. प्रमाणित प्रतिः—**प्रार्थनापत्र दिनांक 13.05.2017 (प्रदर्श—13)**जिसकेअनुसारस्वयंप्रतिवादी सं. 1 द्वाराअपनेपिताप्रभात की वल्दियतसेवला नही होकरप्रभात काईसराका पुत्र होनास्वीकारकियाहै।

10. प्रमाणित प्रति :— **आदेशिका दिनांक 12.07.2017 (प्रदर्श—14)** जिसके अनुसार स्वयं प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 द्वारा अपने पिता मंगला (मंगल्या) की वल्दियत सेवला (सेवाराम) नही हो कर ईसरा होना स्वीकार किया गया है तथा अपने स्वयं के पिता मंगला को सेवला का पुत्र नही होना स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी सं. 2, 3 द्वारा वादीगण के हक/पक्ष में सहमति व्यक्त की गई है।

11. प्रमाणित प्रतिः— **प्रार्थनापत्र दिनांक 12.07.2017 (प्रदर्श—15)** जिसके अनुसार स्वयं प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 द्वारा अपने पिता मंगला (मंगल्या) की वल्दियत सेवला (सेवाराम) नही हो कर ईसरा होना स्वीकार किया गया है तथा अपने स्वयं के पिता मंगला को सेवला का पुत्र नही होना स्वीकार किया गया है जबकि सेवला की मृत्यु पर फौती नामान्तरण सं. 171 के अंकन अनुसार सेवला के पुत्रों के रूप में प्रभात व मंगला का नाम स्वीकृत हुआ है। जिससे उक्त नामान्तरण फर्जी व अवैध रूप से खुलवाया गया प्रतित होता है।

12. प्रमाणित प्रतिः— **राशनकार्ड रजिस्टर दिनांक 12.07.2017 (प्रदर्श—16)** जिसके अनुसार वादी सं. 2 के पिता मा[illegible] वल्दियत सेवला तथा प्रतिवादी सं. 1 के पिता प्रभात की [illegible] (ईसरा) सिद्ध होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.15 12:05:18 IST
Reason: SelfAttested

13. छायाप्रति :— **नामान्तकरण संख्या 171 (प्रदर्श—6)** जिसके अनुसार भूमि के खातेदार सेवला की मृत्यु होने पर मृतक के पुत्र होने के रूपमें

प्रतिवादीगण सं. 1 व 2, 3 के पिता प्रभात व मंगला का नाम तस्दीक हुआ है जबकि अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों प्रदर्श–3, 4, 7 के अनुसार प्रभात व मंगला की वल्दियत ईसरा सिद्ध होती है।

14. छायाप्रति :– **कुर्सीनामा ग्राम पंचायत कंवरपुरा पं.स. आमेर दिनांक 05.11.2015 (प्रदर्श–8)** जिसके अनुसार जो वादीगण की वल्दियत सेवला राम (सेवाराम) की पुष्टि करते हुए वादीगण के प्रस्तुत सजरा की पुष्टि भी करता है तथा प्रतिवादीगण के पुर्वजों प्रभात व मंगला का सेवला राम के पुत्र नही होना प्रकट करता है।

वादपत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावे में वर्णित किया गया है कि **प्रतिवादी सं. 3 ने उचित प्रतिफल देकर भूमि विक्रय पत्र तहरीर करके दिनांक 16.08.1982 को विक्रय पत्र पंजीयन कराया था।** उक्त दस्तावेज 32 वर्ष पुराना है तथा भारतीय साक्ष्य अधि. 1872 की धारा 72 के अनुसार **30 वर्ष पुराने विक्रय पत्र को पूर्ण रूप से सही माना जाता है तथा ऐसे दस्तावेज हेतु किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नही है। उपरोक्त विक्रय पत्र को वादीगण ने 3 वर्ष की निर्धारित अवधि में चुनौती नही दी है** एवं उक्त विक्रय पत्र में पुराने नियमों के अनुसार क्रय कर्ता की ना तो फोटो लगती थी ना ही हस्ताक्षर होते थे। जिन व्यक्तियों के विक्रय पत्र में हस्ताक्षर है उन सभी का देहान्त हो चूका है एवं देहान्त के बाद कोई भी फौजदारी कार्यवाही मृतकों के विरूद्ध नही चल सकती। **इसमें प्रतिवादी सं. 1, 3 व 4 के कोई हस्ताक्षर नही है। इसलिए उपरोक्त फर्जकारी के लिए उतरदायी नही है।** प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब वादपत्र में यही भी उल्लेखित किया गया है कि **वादीगण ने आज तक कभी भी भूमि पर काश्त नही की ना उनका मौके पर कब्जा है। जिससे यह वाद घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का जो प्रस्तुत किया गया है वह संधारण योग्य नही है। राज. काश्त. अधि. दिनांक 15.10.1955 के अनुसार उक्त दिवस को जो व्यक्ति भूमि पर काबिज था। भूमि उसके नाम खातेदारी में अंकित करदी गई थी। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि भी प्रभात्या उर्फ प्रभात एवं मंगला उर्फ मंगल्या के नाम अंकित होने के कारण उनके कब्जे काश्त की थी एवं उन्होंने जो विक्रय पत्र दिनांक 16.08.1982 पंजीयन कराया उसमें कोई अनियमितता नही है क्योंकि वादीगण के भाई माली राम पुत्र सेवा राम बलाई निवासी कांकराला एवं मांगी लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण नाई निवासी कांकराला की गवाही पर उपरोक्त दस्तावेज तहरीर व तस्दीक हुआ है।** जिसमें वादी सं. 1 धूणीलाल के भाई एवं वादी सं. 2 सावित्री के पिता मालीराम के हस्ताक्षर होने से इस दस्तावेज के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.15 12:05:18 IST
Reason: SelfAttested

तहरीर व तस्दीक किये जाने की जानकारी वादी सं. 1 के भाई व 2 के पिता को थी। इस प्रकार हस्तगत **वाद बार्ड बाई लॉ है एवं रजिस्ट्री के निरस्तीकरण का प्रकरण जब तक अन्तिम रूप से निर्णित नही हो जाता है इस वाद में वादीगण को कोई अनुतोष नही मिल सकता।** जहां तक नामान्तकरण एवं पर्चा खतोनी एवं चौसाला जमाबंदी तहरीर का प्रश्न है यह एक निरन्तर प्रकिया है। जो विक्रय पत्र दिनांक 16.08.1982 के पश्चात निरन्तर चली आर ही है एवं प्रतिवादी सं. 4 के नाम नियमानुसार पर्चा लगान जारी किया गया है एवं जमाबंदी भी प्रत्येक चतुर्थ वर्ष तैयार होती रही। लेकिन वादीगण ने यह वाद Hear say के आधार पर संस्थित किया है जबकि **वादी सं. 1 के भाई एवं वादी सं. 2 के पिता मालीराम पुत्र सेवा राम ने इस विक्रय पत्र में गवाह के रूप में हस्ताक्षर करते हुये सहमति दी है। जिससे धोखाधडी के तथ्य बेबुनियाद है। यदि वादीगण धोखा धडी मानते तो मालीराम के जीवित रहते विक्रय पत्र दिनांक 16.08.1982 को 3 वर्ष की अवधि में चुनौती दी जाती। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि वादीगण के अधिकारों से दिनांक 15.06.1973 को ही जा चुकी थी। वादीगण द्वारा अब समयावधि के बहुत समय के पश्चात प्रस्तुत किया गयाहै जो संधारण योग्य नही है।** प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब वादपत्र में आगे वर्णित किया गया है कि **उक्त विक्रय पत्र दिनांक 16.08.1982 के सन्दर्भ में ना तो बेचानकर्ता जीवित है ना ही बेचान के गवाह वादी सं. 1 के भाई एवं वादी सं. 2 के पिता माली राम ही जीवित है। ऐसी अवस्था में उक्त विक्रय पत्र पर 34 वर्ष पश्चात् कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता।** जबकि यह भूमि बेचान कर्ताओं के नाम दिनांक 15.06.1973 को लगभग 42 वर्ष पहले नामान्तरण के जरिये अंकित हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 15.11.2011 का तथा कथित कुर्सीनामा जो ग्राम पंचायत अमरपुरा तहसील आमेर में प्रस्तुत किया है जिनाईन नहीं माना जा सकता, एवं इसके लिये वादीगण को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश जयपुर में करने पर ही उसे मान्यता मिल सकती है। प्रतिवादीगण ने यह भी अंकित किया है कि प्रतिवादी सं. 4 जीवन धारा योजना में सिंचाई हेतु कूप तैयार कर खेती कर रहा है एवं विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है एवं मौके पर मकान बनाकर काबिज चला आ रहा है। वादीगण का 1973 से आज तक कब्जा ही नही है तो उसे बेदखल करने का कथन विरोधाभासी है। कब्जा सदैव से विक्रेताओं के पास एवं वर्तमान में प्रतिवादी सं. 4 के पास है। इसके साथ ही प्रतिवादीगण ने यह भी कथन किया है कि इस प्रकार विधि विधान के अनुसार राज. काश्त. अधि. के अन्तर्गत टिनेन्ट को विशेषाधिकार होने के अन्तर्गत प्रतिवादी सं. 4 काबिज काश्त है। **वादीगण 1973 से आउट ऑफ पजेशन है। ऐसी सूरत**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.15 12:05:18 IST
Reason: SelfAttested

में उनको कोई वाद कारण नही हुआ है। ना ही वादीगण द्वारा निर्धारित अवधि में वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के अन्य कथनानुसार बेचान कर्ताओं (प्रतिवादीगण सं. 1 के पिता व 2, 3 के पिता) के नाम यह भूमि वर्ष 1973 से जरिये नामान्तकरण आई थी। जिसको कोई चुनौती नही दी गई तत्पश्चात दिनांक 16.08.1982 को यह भूमि उनके द्वारा विक्रय की गई एवं विक्रय के उपरान्त प्रतिवादी सं. 4 सदभावी क्रेता है एवं मौके पर काबिज काश्त है एवं लिहाजा राज. काश्त. अधि. के प्रावधानों के अनुसार वादीगणजो 42 वर्ष से काबिज काश्त नही है उन्हें यह वाद लाने का कोई अधिकार नही है एवं न ही उन्हें दुरूस्ती कराने का अधिकार है क्योंकि वादीगण इतने अर्से से अपने अधिकारों पर जागरूक नही रहे एवं अब 42 वर्ष बाद अब उन्हे कोई अनुतोष नही मिल सकता। साथ ही राजस्व रिकार्ड के अन्तर्गत प्रतिवादी सं. 4 रिकार्डेड खातेदार है जिसके खिलाफ वादीगण को तबतक कोई अनुतोष नही मिल सकता है जबतक कि वें उतराधिकार प्रमाणपत्र सक्षम न्यायालय से प्राप्तकर बेदखली का वाद प्रस्तुत कर डिक्री प्राप्त नही कर लें। इस प्रकार वादीगण का विवादित आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा में कोई स्वत्व नही है। जिससे उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नही मिल सकता तथा वें 42 वर्ष से आउट ऑफ पजेशन है एवं मात्र हीयर से के आधार पर भूमि क्लेम कर रहे है जबकि राजस्व रिकार्ड वादीगण के विरूद्ध है। अतः जवाब वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादीगण खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई—

1. आया वादी ग्राम अरणियां तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित विवादित भूमि ख.नं. 5 रकबा 2 बीघा के पूर्व खातेदार स्व. सेवाराम उर्फ सेवला पुत्र स्व. हरनाथ बलाई की विरासत के आधार पर वादीगण अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कराने के अधिकारी है।

   —वादीगण

2. आया प्रतिवादी सं. 1 के स्व. पिता प्रभात व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के स्व. पिता मंगला ने विवादित भूमि के खातेदार मृतक सेवला के गलत/फर्जी रूप से पुत्र बनकर मृतक की विरासत के आधार पर नामान्तकरण खुलवाकर जो राजस्व अंकन [illegible] है। वह गलत व फर्जी होने से बमुकाबले वादीगण अवैध व शून्य है, ऐसे फर्जी व अवैध नामान्तकरण के आधार पर प्रतिवादी सं. 4 को किया गया बेचान व राजस्व अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.15 12:05:18 IST
Reason: SelfAttested

बमुकाबले वादीगण अवैध व शून्य है। जिससे वादीगण विवादित भूमि के खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

—वादीगण

3. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वे वादीगण को ग्राम अरणियां तहसील आमेर स्थित विवादित भूमि ख.नं. 5 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा से बेदखल ना करेना ही भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत एवं भूमि का बेचान रहन इन्यादि ना करें।

—वादीगण

4. आया वादीगण ने कभी भी भूमि पर काश्त नही की न उनका मौके पर कब्जा है। लिहाजा घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत यह वाद संधारण योग्य नही है।

—प्रतिवादीगण

5. आया वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बार्ड बाई लॉ है एवं रजिस्ट्री के निरस्तीकरण का प्रकरण जब तक अन्तिम रूप से निर्णित नही हो जाता तब तक प्रस्तुत वाद में वादीगण को कोई अनुतोष नही मिल सकता।

—प्रतिवादीगण

6. आया वादीगण सन 1973 से आउट ऑफ पजेशन है। ऐसी सूरत में उन्हे कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है।

—प्रतिवादीगण

7. आया प्रतिवादी सं. 3 ने उचित प्रतिफल देकर विक्रय पत्र तहरीर कर दिनांक 16.08.1982 को पंजीयन कराया था। उक्त दस्तावेज 32 वष पुराना है। विक्रय पत्र को वादीगण ने निर्धारित अवधि 3 वर्ष में चुनौती नही दी है। बेचान कर्ताओं के नाम उक्त भूमि वर्ष 1973 में जरिये नामान्तकरण आई थी। जिसको कोई चुनौती नही दी गई। तत्पश्चात दिनांक 16.08.1982 को यह भूमि बेचान कर्ता खातेदारान के द्वारा विक्रय की गई। विक्रय के उपरान्त प्रतिवादी सं. 4 सदभावी क्रेता है एवं मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादीगण जो 42 वर्ष से काबिज काश्त नही है। उन्हें यह वाद लाने का अधिकार नही है, ना ही उन्हे दुरूस्ती कराने का अधिकार है। 42 वर्ष बाद अब क[illegible]ष नही मिल सकता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.15 12:05:18 IST
Reason: SelfAttested

—प्रतिवादीगण

8. अनुतोष ?

कायम तनकीयात के कम में वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र वादी धूणी लाल पुत्र स्व. सेवाराम, वादी सं. 2 सावित्रि देवी पत्नि गिरधारी लाल (पुत्री स्व. मालीराम) व गवाह हरिनारायण पुत्र दुर्गा प्रसाद के पेश किये। अग्रिम कार्यवाही के नियत रहते तथा बावजूद प्रेषित नोटिस प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। (प्रतिवादीगण द्वारा वादी साक्ष्य से जिरह भी नही की गई ना ही प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत की गई) तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की जाकर अधिवक्तावादी की बहस सुनी गई।

हमने अधिवक्तावादी की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिसके कम में प्रकरण का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार किया जाता है।

तनकी सं. 1:—उक्त बिन्दु को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। जिसके कम में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2068—2071 **(प्रदर्श P 1)** के अनुसार वादीगण के पूर्वज/ पिता सेवला बलाई अंकित है तथा मालीराम (वादी सं. 2 के पिता) व धूलाराम (वादी सं. 1 धूणीलाल) के अतिरिक्त सेवला के अन्य किसी पुत्र का उल्लेख नही है। इसी प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत कंवरपुरा द्वारा जारी कुर्सीनामा **(प्रदर्श P 8)** जिसका कमांक 59 दिनांक 05.11.2015 है, के अनुसार भी मालीराम व धूणीलाल (वादीगण) के अतिरिक्त सेवला राम का अन्य कोई पुत्र नही होना अंकित है। इस कम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जमवारामगढ की निर्वाचक नामावली वर्ष 1980 **(प्रदर्श P 7)** के भाग संख्या 12 के पृष्ट सं. 7 के कम सं. 623 के अनुसार भी मालीराम का सेवाराम का पुत्र होना अंकित है। जो ग्राम पंचायत कंवरपुरा के कुर्सीनामा दिनांक 05.11.2015 **(प्रदर्श P 8)** की पुष्टि भी करते है। इसी पृष्ट के कम सं. 610 के अनुसार प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 के पिता मंगला की वल्दियत सेवला नही हो कर ईसरा अंकित है। जिसे पश्चातवर्ती वर्ष स्वयं प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 द्वारा न्यायालय हाजा को संबोधित अपने स्वयं के हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2017 **(प्रदर्श P 15)** में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है तथा इसी प्रकार स्वयं वादी सं. 1 ज्वाला प्रसाद द्वारा भी न्यायालय हाजा को संबोधित अपने स्वयं के हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 13.05.2017 के अनुसार स्वयं के पिता प्रभात की वल्दियत सेवाराम नही होकर ईसरा होना स्वीकार किया है। जो कि पूर्व के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.15 12:05:18 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरण सं. 171 की प्रविष्टी अनुसार अंकित प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 3 के पिताओं प्रभात व मंगला की वल्दियत सेवला को गलत व अनुचित प्रविष्टी सिद्ध करती है। जिसकी पुष्टि ग्राम अरनिया की निर्वाचक नामावली वर्ष 1980 के भाग सं. 12 के प्रविष्टि कमांक 220, 221, 610 से भी होती है। इसी प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य **प्रदर्श P 3** (जमाबंदी सम्वत 2029– 2033), **प्रदर्श P 4** (जमाबंदी सम्वत 2022– 2026), **प्रदर्श P 5** से भी प्रतिवादी सं. 1 के पिता प्रभात का ईसरा का पुत्र होना स्पष्ट सिद्ध होता है। इन सब तथ्यों के अतिरिक्त स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब वादपत्र में वादपत्र के तथ्यों का कोई स्पष्ट खण्डन नही किया गया है, ना ही प्रतिवादीगण द्वारा अपने पूर्वजों प्रभात व मंगला की वल्दियत सेवला नही होकर ईसरा होने संबंधि तथ्य का कोई उल्लेख अथवा खण्डन किया गया है बल्कि वाद के मात्र मियाद अवधि व अन्य तकनीकी बिन्दुओं मात्र के आधार पर अवैधता बाबत कथन किया है ना कि मूलभूत तथ्यों का खण्डन किया गया है बल्कि कालान्तर में भी स्वयं हस्ताक्षरित पत्रों द्वारा वाद के मूलभूत तथ्यों को स्वीकार भी किया गया है। अतः इस प्रकार समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों के समग्र विवेचन से यह सिद्ध होता है कि वादीगण के पूर्वज सेवला के पुत्रों के रूप में वादीगण के नाम अंकित नही किये जाकर प्रतिवादीगण के पूर्वजों का नाम अनुचित व अविधिक रूप से दर्ज किया गया है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं. 2:–उक्त बिन्दु को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। जिसके कम में वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों **प्रदर्श P 1** (जमाबंदी सम्वत 2068–2071), **प्रदर्श P 3** (जमाबंदी सम्वत 2029–2033), **प्रदर्श P 4** (जमाबंदी सम्वत 2022–2026), **प्रदर्श P 7** (निर्वाचक नामावली वर्ष1971, 1980), **प्रदर्श P 8** (कुर्सीनामा सरपंच ग्रा.पं. कंवरपुरा दिनांक 05.11.2015), **प्रदर्श P 15** व अन्य (प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 द्वारा स्वयं के प्रस्तुत हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2017, 13.07.2017) आदि से वादीगण की वल्दियत सेवला (सेवाराम) तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज प्रभात व मंगला की वल्दियत सेवला नही होकर ईसरा सिद्ध होती है। जो कि स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है जबकि सेवला के फौती नामान्तरण में सेवला के पुत्रों के रूप में प्रभात व मंगला का नाम दर्ज हुआ है (जो कि प्रतिवादीगण के पूर्वज है)। जो कि उक्त दस्तावेजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.15 12:05:18 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य के दृष्टिगत गलत व फर्जी सिद्ध होता है तथा प्रावधान के अनुसार फर्जी व अवैध नामान्तकरण के आधार पर किया गया बेचान सदैव प्रारम्भतः ही शून्य होता है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी स्तर पर उक्त नामान्तकरण के फर्जी व अवैध होने के तथ्य का किसी भी रूप में खण्डन नही किया गया है, ना ही अपने जवाब वाद पत्र में नामान्तकरण का कोई उल्लेख करते हुए उसे झुटलाया गया है। अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जातीहै।

तनकी सं. 3ः—उक्त बिन्दु को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। जिसके क्रम में चूंकि तनकी सं. 1 व 2 का निस्तारण वादीगण के पक्ष में किया गया है। अतः यह तनकी सं. 1 व 2 की पूरक होने से स्वतः ही वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं. 4ः—उक्त बिन्दु को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जिसके क्रम में चुंकि तनकी संख्या एक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सिद्ध हुई है। जिसमें मूल खातेदार सेवाराम उर्फ सेवला पुत्र हरनाथ वादीगण का पूर्वज था। स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा भी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार स्वयं को ईसरा का वारिस माना है। ऐसे में स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या एक व प्रतिवादीगण 2, 3 के पूर्वज ने जालसाजी पूर्वक नामान्तकरण दर्ज करवाया था। इस प्रकार वे उक्त भूमि (विवादित भूमि) के विधिक उत्तराधिकारी नहीं थे। जब एक व्यक्ति किसी भूमि का विधिक अधिकारी नहीं होता है तो उसे अनाधिकृत कब्जे के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। वैसे भी पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो प्रतिवादीगण के कब्जे को प्रदर्श करता हो। अतः ऐसी स्थिति में यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं. 5, 6ः—उक्त बिन्दु को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जिसके क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के अनुसार अवैध बेचान के सम्बन्ध में अपने विधिक खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए कोई भी व्यक्ति राजस्व न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर सकता है। जिसका मात्र श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को है। उपरोक्त वाद में वादीगण का मुख्य अनुतोष अपने पिता की विरासत से प्राप्त भूमि की खातेदारी की घोषणा के सन्दर्भ में है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.15 12:05:18 IST
Reason: SelfAttested

तनकी सं. 7:—उक्त बिन्दु को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जैसा कि वाद की तनकी संख्या एक व दो में वादी अपने हक व अधिकार को सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहे है एवं प्रतिवादीगण तनकी संख्या 4 व 5 को सिद्ध करने में असफल रहे है। चूँकि भूमि में वादीगण ने अपने पिता की विरासत से प्राप्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर घोषणा का अनुतोष चाहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत गलत अंकन एवं अवैध बेचान के आधार पर किसी प्रकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा के वाद हेतु कोई समयावधि निर्धारित की गई है। एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी एडवर्स पजेशन के आधार पर किसी प्रकार का कोई अधिकार उत्पन्न होने से इन्कार किया गया है। ऐसी स्थिति में यह तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

अनुतोष :— वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य दस्तावेजों से ग्राम अरनियां तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आराजी खसरा नं 5 रकबा 1.38 है. के सन्दर्भ में स्वयं की अधिकारिता बखूबी सिद्ध की गई है। अतः विवादित भूमि खसरा नं 5 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा के पूर्व खातेदार स्व. सेवाराम उर्फ सेवला पुत्र स्व. हरनाथ बलाई की विरासत का वादीगण को उत्तराधिकारी घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में उक्त पूर्व खातेदार स्व. सेवाराम उर्फ सेवला पुत्र स्व. हरनाथ बलाई के वारिसान के रूप में वादीगण का नाम स्थापित/दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित भूमि से वादीगण को बेदख लना करे तथा वादीगण को भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार में मदाखलत ना करे। तद्नुसार वाद वादी डिक्री किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.15 12:05:18 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी **श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)**

वाद सं. : 03/2016

1. धूणीलाल पुत्र स्व. सेवाराम उर्फ सेवला जाति बलाई,
   निवासी ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ कांकरावाला तहसील आमेर, पुलिस थाना चन्दवाजी जिला जयपुर
2. सावित्री पत्नि गिरधारी लाल पुत्री स्व. मालीराम जाति बलाई,
   निवासी ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ कांकरावाला तहसील आमेर, पुलिस थाना चन्दवाजी जिला जयपुर
   हाल निवासी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. ज्वाला प्रसाद पुत्र स्व. प्रभात उर्फ प्रभात्या जाति बलाई,
   निवासी ग्राम अरनिया हाल निवासी ग्राम हरचन्द्रपुरा उर्फ कांकरावाला तहसील आमेर पुलिस
   थाना चन्दवाजी जिला जयपुर
2. मुरली पत्नि सुवालाल पुत्री स्व. मंगला उर्फ मंगल्या जाति बलाई,
   निवासी भुरानपुरा जाटान, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. नन्छी पत्नि सुवालाल पुत्री स्व. मंगला उर्फ मंगल्या जाति बलाई,
   निवासी हनुतपुरा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
4. मुरलीधर पुत्र सोणी लाल उर्फ सोन्या जाति बलाई,
   निवासी ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ कांकरावाला तहसील आमेर, पुलिस थाना चन्दवाजी जिला जयपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

निर्णय **दिनांकः 22.01.2021**

ग्राम अरनियां तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि हाल खसरा नं 5 रकबा 1.38 है. के सन्दर्भ में उक्त भूमि गत खसरा नं 5 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा के पूर्व खातेदार स्व. सेवाराम उर्फ सेवला पुत्र स्व. हरनाथ बलाई की विरासत का वादीगण को उत्तराधिकारी/खातेदार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में पूर्व खातेदार स्व. सेवाराम उर्फ सेवला पुत्र स्व. हरनाथ बलाई के वारिसान के रूप में वादीगण का नाम स्थापित/दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित भूमि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.15 12:05:18 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण को बेदख लना करे तथा वादीगण को भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार में मदाखलत ना करे। तद्नुसार वाद वादी डिक्री किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 22.01.2021 को जारी कियागया।

दस्तखत———

ओहदा———

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जीदावा		—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	4 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजहसबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.15 12:05:18 IST
Reason: SelfAttested